समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी-3413/2018/विदिशा/भू.रा.

दिनांक 4-6-18 को श्री राहुल बंसल अधि० द्वारा प्रस्तुत। 4-6-18

पे०ति० 6-6-18

कमलेश बाई पत्नि श्री प्रहलाद यादव निवासी– ग्राम करीमावाद तहसील सिरौंज जिला विदिशा

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. इदरीश मियॉ पुत्र श्री शकूर खॉ व्यवसाय– कृषि निवासी– करीमाबाद तहसील सिरोंज जिला विदिशा (म0प्र0)
2. ब्रजेश कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र यादव
3. श्रीमती ऊषा यादव पत्नि श्री ब्रजेश यादव
4. रोहित महोबिया पुत्र श्री ब्रजेश यादव
5. शशांक महोबिया पुत्र श्री ब्रजेश यादव
6. आशीष यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव
7. पंकज यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव

समस्त व्यवसाय– कृषि ग्राम करीमाबाद तहसील सिरोंज जिला विदिशा (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 69/ए 5/16–17 इदरीश मियॉ बनाम म. प्र. शासन माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2018 के विरूद्ध। (मूल प्रति आदेश पत्रिका दिनांक 4.4. 2018 प्रदर्श पी–1)

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका के हक एवं स्वत्व की एक भूमि आराजी क्र. 09 रकबा 3.033 हेक्टेयर स्थित ग्राम करीमाबाद तहसील

XXIX(a)-BR(H)-11

142

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3413/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल बंसल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	